श्री मंजीत कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 18/2/1180 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	तारांकित प्रश्न सं0–18/2/1180	
1	क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत ग्राम अमैठी खुर्द गोपालगंज से सिवान जिला के तरफ जाने वाली सारण नहर पथ गोपालगंज क्षेत्र में इटीकरण है, जबकि सिवान सीमा प्रारंभ से अंत तक कालीकरण हो चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। • वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ सारण मुख्य नहर के कि0मी0 32.00 से निःसृत पिथौरी–सिवान वितरणी का सेवापथ है, जिसकी कुल लंबाई 20.88 कि0मी0 है। इस सेवापथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 7.92 तक का भाग गोपालगंज एवं कि0मी0 7.92 से कि0मी0 20.88 तक सिवान जिला अन्तर्गत आता है। – सेवापथ के कि0मी0 0.91 से कि0मी0 3.96 तक का भाग जो गोपालगंज जिला के ग्राम अमैठी खुर्द के अन्तर्गत आता है, में ईटसोलिंग कार्य किया हुआ है एवं शेष भाग कच्चा है। – सेवापथ के कि0मी0 7.92 से कि0मी0 10.74 के बीच 450 मीटर की लंबाई में पी0सी0सी0 एवं सेवापथ के कि0मी0 10.74 से कि0मी0 20.88 तक का भाग जो सिवान जिला अन्तर्गत आता है, में सेवापथ का कालीकरण कार्य किया गया है एवं शेष भाग कच्चा है, सेवापथ अच्छी स्थिति में है। – अतः पिथौरी–सिवान वितरणी सेवापथ के शेष बचे हुए भाग में कालीकरण/पक्कीकरण होने से किसानों/ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध होगी। शेष भाग में भी अगले वित्तीय वर्ष में सेवापथ की पक्कीकरण का कार्य करा लिया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि सारण मुख्य नहर गोपालगंज उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर सगुनी परसा तक अत्यंत जर्जर है, जिसका मरम्मती का काम धीमी गति से चल रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। • वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के सगुनी (परसा) से गोपालगंज जिला में उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली प्रश्नगत सड़क सारण मुख्य नहर एवं मढ़ौरा शाखा नहर को मिलाकर कुल लंबाई 120.67 कि0मी0 है। • उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त नहर के सेवापथ का कालीकरण कार्य दो खंडों में विभक्त कर कराया गया है। – प्रथम खंड में सारण मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 52.22 तक सेवापथ का कालीकरण वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर वर्ष 2022 में पूर्ण कराया गया है तथा इस सेवापथ की मरम्मति अवधि जुलाई–2027 तक निर्धारित है, जिसमें क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति करायी जा रही है। – द्वितीय खंड में सारण मुख्य नहर के कि0मी0 52.22 से 65.53 तक एवं मढ़ौरा शाखा नहर के कि0मी0 0.00 से 55.13 तक कालीकरण कार्य प्रस्तावित था, जिसे वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ किया गया था। – संवेदक द्वारा सेवापथ का कालीकरण कार्य पूर्ण किया गया किन्तु फ्लैंक में ब्रिक सोलिंग का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा को विखंडित किया गया एवं अवशेष कार्य को रिस्क एवं कॉस्ट पर करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। जिसे अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित नहर पथ का कालीकरण एवं खंड (2) में वर्णित मरम्मती कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?	हाँ

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–46 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 1180 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–46 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–46 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–46 / 2026– 1350 पटना, दिनांक– 20/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19-03-26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
19.03.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo